



विहार BIHAR



"प्राप्ति - 26"

नियम 4 के देखिए

14.

36, जहानाबाद निवार्चिन हेत्र में निवार्चिन हेत्र का नाम शुलोकसभा उत्तदन का नाम
के लिए निवार्चिन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के नमृद्ध अध्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया
जानेवाला शपथ-पत्र।

शपथ-

मैं अर्जुन ठाकुर पुत्र न्व० परमेश्वर ठाकुर आयु 52 वर्ष, जो ग्राम माधोपुर मठ पोस्ट-
लखावर, धाना धोती, जिला जहानाबाद बिहार।

मैं इडाक का पूरा पता लिखौं का निवासी हूँ, और उपरोक्त निवार्चिन से अध्यार्थी हूँ,
लेयनिष्ठा ते प्रतिष्ठा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ।

1. मैं एक स्वतंत्र अध्यार्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

जो लागू न हो उसे काट दें।

2. मेरा नाम 217, धोती - बिहार निवार्चिन हेत्र और राज्य का नाम है भाग

No.: 08 Date: 26 MAR 2014 Time 11:56 AM



-2-

तं० 156 के क्रम तं० 403 पर पुष्ट है।

3. मेरा संपर्क टेलीफोन नं० मोबाइल नं०- 9304167179 है।

मेरा ई-मेल आई डी० यदि कोई हो तो aryumadhav@gmail.com

इवं मेरा सोशल मीडिया स्काउंटस ईयदि कोई हो तो शून्य है।

4. स्थार्ड लेखा संचारक ऐन के छ्योरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः-

| क्रम तं० | नाम | फैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | आयकर विवरणी उपदस्ति कुल आयौल्पये में |
|----------|--------------|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | स्वयं | | 2013-2014 | रु. 2,97,974 |
| 2. | पति या पत्नी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | आश्रित -1 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | आश्रित -2 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | आश्रित -3 | शून्य | शून्य | शून्य |

Arijit Thakur



(5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

| | | |
|-----|--|-------|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | पूर्ण |
| (ख) | संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है | पूर्ण |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | पूर्ण |
| (घ) | न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई | पूर्ण |
| (ड) | तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | पूर्ण |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं | पूर्ण |

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

{पूर्वांकित}

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न)-

| | | |
|-----|---|-------|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | पूर्ण |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहा न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | पूर्ण |
| (ग) | प्रत्येक आदेश(आदेशों) के विरुद्ध ^{प्रत्येक} आदेश(आदेशों) के लिए फाइल की गई ^{प्रत्येक} जुम्मीक्षण के लिए फाइल की गई ^{प्रत्येक} अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे | पूर्ण |



Aman lokan

(6). मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

| | | |
|-----|---|-----|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धोष ठहराया गया है | पूल |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | पूल |
| (ग) | अधिरोपित दंड | पूल |
| (घ) | व्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोइ अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्तिति | पूल |

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितयों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित

ब्यौरे दिए जाने हैं।



टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

यहाँ आश्रित का बही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन

प्राप्तीकरण(5) में है।

टिप्पण 4 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

Arjun Kumar

| क्रम सं | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|---|---|---|----------|----------|----------|
| (i) | हाथ में नकदी | Rs. 10,000/- | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (iii) | कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा चूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | भूल | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम। | भूल | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (v) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम। | भूल | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (vi) | मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | मोटरसाइकिल क्रा - BRD - BD-4227 Rs. 25,000/- | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (vii) | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुए)(भार और मूल्य के ब्यौरे) | भूल | 50% छोड़ Rs. 1,50,000/- 500 रु. 75 Rs. 22,500/- | भूल | भूल | भूल |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि वाहनों/हितों का मूल्य | भूल | भूल | भूल | भूल | भूल |
| (ix) | ममता कुल मूल्य | Rs. 40,000/- | Rs. 1,72,500/- | भूल | भूल | भूल |



आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|--|---|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | मौजा गढोपुराड जला-धोती | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्षेत्र(एकड़ में कुल माप) | एक एकड़ | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं) | हूं | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| (ii) | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | Rs.10,00000/- | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | गैर कृषि भूमि - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| GOVT. OF BIHAR NOTARY Om Prakash Jehanabad Regd. No./30442 | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |
| | क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि | भूमि |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| (iii) | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | सिर्वित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | सिर्वित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं) | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | कूल | कूल | कूल | कूल | कूल |



| | क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | शुल्क | भूल | शुल्क | भूल | शुल्क |
|------|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शुल्क | भूल | शुल्क | भूल | भूल |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शुल्क | भूल | शुल्क | भूल | भूल |
| (v) | अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित) | शुल्क | भूल | शुल्क | भूल | शुल्क |
| (vi) | पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | शुल्क Rs. 10,00000/- | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का
पृथक विवरण दें)

| क्रम सं | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|---------|--|-------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति) | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | कोई अन्य दायित्व | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | दायित्वों का कुल योग | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | सरकारी शोध्य - सरकारी अस्वास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | मूल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क | शुल्क |



| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | भूत्य | भूत्य | कुल | भूत्य | भूत्य |
| | सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | आय-कर शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | धनकर शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | सेवाकर शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | विक्रयकर शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| | कोई अन्य शोध्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| (iii) | सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्भुलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य | भूत्य |

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं Om Prakash

(ख) पति या पत्नी..... 524511

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

सनातकोत्तर- लंकृत- बिहार विश्वविद्यालय

सन्तथक पुस्तकालय (बिहार) - 1986



Om Prakash

Jeth (प्रमोशनपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे

Regd. No. / 347/12

देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)


A. 11. 11.

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये व्यौरे का उद्धरण

| | | | | |
|---|--|---|---------------|----------------|
| 1 | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कु 0 अर्जुन ठाकुर | | |
| 2 | डाक का पता | पा.-कल्याण ठाकुर ज्ञान- माधोपुर गढ़ पौर- लखनऊ बाज- छोटी जिला - जहानाबाद | | |
| 3 | निर्वाचन क्षेत्र को संख्या और नाम तथा राज्य | 36, जहानाबाद | | |
| 4 | उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें) | स्वतंत्र | | |
| 5 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। | शून्य | | |
| 5 | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न) | शून्य | | |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं) | शून्य | | |
| | अभ्यर्थी का स्थायी लेखा संख्या | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | कुल दर्शित आय | |
| | (क) अभ्यर्थी | AFLPT 3517R | 2013-14 | Rs. 2,97,974/- |
| | (ख) मति या पली | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (ग) अमंत्रित | शून्य | शून्य | शून्य |



| 8 | आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे(रूपये में) | | | | | |
|---|--|---------|--------------|----------|----------|----------|
| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
| क | जंगम आस्तियां(कुल मूल्य) R.s.40,000/- | ५००० | १,७२,५००/- | ५००० | ५००० | ५००० |
| ख | स्थावर आस्तियां R.s.10,00000/- | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | I स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संरचना लागत(यदि लागू हो) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां(कुल मूल्य) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| 9 | | दायित्व | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | (i) सरकारी शोध्य(कुल) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | (ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है | | | | | |



| | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|
| (i) | सरकारी शोध्य(कुल) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
| (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल) | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |

उच्चम शैक्षिक अर्हता - एनाटकोन्टर - एस्ट्रॉन्ट - निदार निउजिडालम, मुजफ्फरपुर, १९८६
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा है।)

Ajay Thakur

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.2014 को सत्यापित किया गया।

*Attest ed/
Arjun Madhopur
Advocate
26.03.2014*

Arjun Madhopur

अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टक्कित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अध्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अध्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जॉच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अध्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अध्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरध्वाष संपर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं प्रोब्राह्मल नं.- 9304167179

Om Prakash
Jehanabad
Regd. No./347/12

एवं मेरा प्रोशल मीडिया एकांटेस(अगर कोई हो) हैं प्र.

NOTARY
Jehanabad

Arjun Madhopur
26.3.14

26 MAR 2014

